

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

As on Report November, 2016

क्र.सं.	योजना के बिन्दू	योजना का विवरण
1	संक्षिप्त परिचय	माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा (124) के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विससित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उस के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी।
2	प्रारम्भ होने का वर्ष	01 जून 2016
3	लाभान्वित वर्ग	<ul style="list-style-type: none"> दिनांक 01 जून 2016 या इसके बाद राजकीय अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव से बालिका के जीवित जन्म होने पर बालिका के माता-पिता/अभिभावक को दिया जाता है। (प्रथम परिलाभ/किशत) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता/अभिभावक को कुल राशि रु. 50 हजार अधिकतम का भुगतान किया जायेगा जिसकी प्रथम दो किशते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जानी है।
4	पात्रता	<p>ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 01 जून 2016 अथवा उसके पश्चात् होगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी हो। यदि हितग्राही के पास प्रथम किशत का लाभ लेते समय आधार अथवा भामाशाह कार्ड नहीं हैं, तो भी प्रथम किशत का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जायेगा किन्तु दूसरी किशत का लाभ लेने से पूर्व आधार अथवा भामाशाह कार्ड की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिये ही देय है। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है, को बालिका के जीवित जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देय होगा। राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ देय नहीं होंगे। प्रथम एवं द्वितीय किशत का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा। यह लाभ दिनांक 31.05.2016 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को देय होगा। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किशतों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात् प्रथम दो किशतों के अतिरिक्त अन्य किशतों का लाभ उन्ही बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता-पिता को स्व घोषणा प्रस्तुत/ अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है। जिसे एक या दो किशतों का लाभ दिया चुका हो तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता-पिता के चदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होंगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किशतों का लाभ अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा। प्रथम किशत हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थाओं में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा।

		<ul style="list-style-type: none"> • द्वितीय किशत का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर देय होगा। • प्रथम किशत से लाभान्वितों को समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम आंगनबाड़ी केन्द्र से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। • मुख्यमंत्री राजश्री योजना का द्वितीय (बालिका की उम्र एक वर्ष पूर्ण होने पर एवं आवश्यक टीकाकरण पश्चात्) एवं तृतीय (बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम परिलाभ प्राप्त किया हो। • ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक चरण में (कक्षा 1,6,10 तथा 12) शिक्षारत है/रही है। • योजना की अगली किशत पूर्व में सभी किशत/किशतें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी।
5	देय सुविधाएँ	<ul style="list-style-type: none"> • राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रु. की राशि देय देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के तहत देय राशि के अतिरिक्त होगी। • बालिका की उम्र 01 वर्ष पूर्ण होने व पूर्ण टीकाकरण पर बालिका के नाम से 2500 रु. की राशि देय होगी। • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4000 रु. की राशि देय होगी। • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रु. की राशि देय होगी। • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11000 रु. की राशि देय होगी। • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25000 रु. की राशि देय होगी।
6	आवेदन का तरीका	राजकीय चिकित्सालयों अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में प्रसव कराया जाना एवं आवेदन करना।
7	आवेदन कहाँ किया जावे	राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर किया जाना।
8	सम्पर्क सूत्र	संबंधित संस्थान जहां प्रसव कराया गया है एवं प्रसूता के निवास क्षेत्र से संबंधित संस्थान।